राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ 65(2)खा.वि./बजट घोषणा–2023–24/2022 दिनांक : 10.05.2023

विषयः– मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023–24 बिन्दु संख्या–5(।।) इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना।

दिशा–निर्देश

1. **योजना का नामः–**इस योजना का नाम इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना होगा।
2. **पात्रताः–**इस योजना के तहत बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी में शामिल परिवार पात्र होगें।
3. **योजना को लागू करने की तिथिः–**यह योजना दिनांक 01.04.2023 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
4. **नोडल विभागः–**इस योजना का नोडल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होगा।
5. **अनुदान राशिः–**इस योजना के तहत बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी के प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सब्सिडी व योजनान्तर्गत देय सब्सिडी उपरान्त मात्र 500 रू. में देय होगा।

स्पष्टीकरण(क):– योजना के तहत बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी के परिवारों को गैस सिलेण्डर निर्धारित राशि जमाकर गैस एजेन्सी से डिलीवरी प्राप्त करने पर 500 रू. से अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि परिवार के मुखिया के जनआधार कार्ड से लिंक बैक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी।

स्पष्टीकरण(ख):– योजना में माह की गणना माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक की जाएगी। उदाहरणतः **"उपभोक्ता द्वारा 1 अप्रैल को एक गैस सिलेण्डर एवं 30 अप्रैल को दूसरा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी ली गयी है तो एक सिलेण्डर के लिए अनुदान देय होगा। यदि प्रथम गैस सिलेण्डर 29 अप्रैल को, द्वितीय गैस सिलेण्डर 2 मई को एवं तीसरा सिलेण्डर 21 जून को डिलीवर किया गया है तो प्रति माह एक गैस सिलेण्डर हेतु अनुदान देय होगा।"**

6. **पंजीकरण की प्रक्रियाः–**योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उपभोक्ता को एल. पी.जी. आई.डी. (उपभोक्ता क्रमांक) व जनाधार कार्ड के साथ पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में यह कार्य महंगाई राहत शिविरों में किया जा रहा है। अतः उपभोक्ताओं को उक्त मंहगाई राहत शिविरों में जाकर पंजीयन कराना होगा।

स्पष्टीकरणः– दिनांक 24 अप्रैल या इसके पश्चात पंजीयन कराने पर भी योजना का लाभ अप्रैल माह के लिये 01 अप्रैल या उसके पश्चात लिए गए गैस सिलेण्डर पर भी देय होगा।

7. **सब्सिडी हस्तान्तरण प्रक्रियाः–** बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी के परिवार द्वारा पंजीयन करवाये जाने के पश्चात गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर माह मे दो बार पाक्षिक आधार पर अन्तर

राशि (सभी स्त्रोतों से प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) उपभोक्ता के जनाधार से लिंक बैंक खाते में स्वतः जमा कर दी जावेगी।

8. **मॉनिटिरिंग एवं पर्यवेक्षणः**—योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी।

9. **निरीक्षणः**—विभाग के जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह लाभ प्राप्त करने वाले बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना परिवार (राजस्थान राज्य के) श्रेणी परिवारों का रेन्डमली निरीक्षण किया जाकर गैस सिलेण्डर का सही उपयोग होने का सत्यापन किया जाएगा।

- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेण्डरों का घरेलू उपयोग नही कर व्यवसायिक उपयोग पाया जाने पर विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही के साथ भविष्य में प्राप्त होने वाली सब्सिडी से वंचित किया जा सकेगा।
- किसी क्षेत्र विशेष में गैस सिलेण्डरों के असामान्य उपयोग की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/संबधित गैस कम्पनियों एवं जिला रसद अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
- गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी संबंधित उपभोक्ता को करनी होगी। निरीक्षण के दौरान योजना के लाभार्थियों के अलावा किसी अन्य उपभोक्ता को गैस एजेन्सी द्वारा सब्सिडी सिलेण्डर डिलीवरी करते पाये जाने पर संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ भी प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. **योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्य विभाग की भूमिका के मुख्य बिन्दूः—**

- मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023—24 के बिन्दु सं. 5(ii) इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। इस क्रम में बीपीएल एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी के (राजस्थान राज्य के) परिवारों को 500 रू. में एल.पी.जी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों को समय पर प्राप्त हो सके, इस हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विभाग के लिये DOIT द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल जिसका भुगतान के लिये IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की सुचारू मॉनीटरिंग एवं सफल संचालन हेतु कार्य किया जावेगा।
- योजना के संचालन हेतु खाद्य विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) होगें। योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित प्रोग्रामर की सहायता से योजना का संचालन करेंगे।
- प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों से लाभार्थियों का मास्टर डेटा प्राप्त किया जावेगा तथा प्रभारी अधिकारी (OIC) के डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से योजना हेतु विभाग के लिये DOIT द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल (जनआधार डी.बी.टी ऐप्लीकेशन) पर अपलोड किया जायेगा।
- विभाग के लिये DOIT द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल बनने में एक से डेढ़ माह तक का समय लगने के मध्यनजर कोविड—19 के दौरान एक्स ग्रेसिया के भुगतान के लिये अपनायी गयी प्रक्रिया की तर्ज पर अन्तरिम व्यवस्था के आधार पर सब्सिडी राशि हस्तान्तरित की जावेगी।
- गैस कम्पनियों द्वारा प्रत्येक माह की 1—15 तारीख तक योजनान्तर्गत लाभान्वित बीपीएल एवं उज्ज्वला श्रेणी को वितरित एल.पी.जी. सिलेण्डर का मास्टर डेटा Excel Sheet में उसी माह की 16 तारीख को एवं माह की 16—30 तारीख का मास्टर डेटा अगले माह की 1 तारीख को DOIT द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जायेगा।

- गैस कम्पनियों द्वारा बीपीएल व उज्ज्वला श्रेणी के लाभार्थियों का डेटा श्रेणीवार व जिलेवार तैयार किया जावेगा जो कि Excel Format में होगा। उक्त Excel Sheet के कॉलम में जिलेवार लाभान्वित उपभोक्ता की कैटेगरी (उज्ज्वला/बीपीएल), एल.पी.जी. आई.डी.नं., भारत सरकार द्वारा दी गयी मार्केट एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये Invoice Amount का इन्द्राज किया जावेगा।
- किसी एक कम्पनी से प्राप्त सूची (Excel Sheet) के अनुसार सब्सिडी राशि की गणना बीपीएल उपभोक्ताओं व उज्ज्वला योजना के उभोक्ताओं के संदर्भ में अलग–अलग की जावेगी।
- खाद्य विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) विभाग में पदस्थापित प्रोग्रामर की सहायता से गैस कम्पनियों द्वारा प्रेषित Excel Sheet डेटा को प्राप्त करेगा। प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा उक्त डाटा को प्रोग्रामर की सहायता से कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हुए Excel Sheet के Right में एक नया कॉलम बनाकर फार्मूले के अनुसार (उज्ज्वला परिवार के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सब्सिडी व रू. 500 को कम करते हुए तथा बी.पी.एल परिवार के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्केट सब्सिडी व अन्य सभी सब्सिडी तथा रू. 500 को कम करते हुए) देय सब्सिडी राशि की गणना निम्न फार्मूले अनुसार की जायेगी।
- Subsidy Calculation Formula
  1. For PMUY
     Subsidy Amout = Cylinder Cost – (Market Subsidy + PMUY Subsidy + Rs. 500)
  2. For BPL
     Subsidy Amout = Cylinder Cost – (Market Subsidy + Rs. 500)
- उपभोक्ता को देय सब्सिडी की गणना उपरान्त उक्त Excel Sheet को योजना के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से अपलोड किया जावेगा।
- खाद्य विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड सब्सिडी राशि के डेटा सत्यापन (Validation) व दोहरा भुगतान सम्बंधित जांच जनआधार डी.बी.टी इंजन पोर्टल के माध्यम से कर एल.पी.जी. आई.डी.नं. के आधार पर योजनान्तर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।
- बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित हो गयी है की सूची का संधारण पोर्टल पर किया जायेगा।
- खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना के वे लाभार्थी जिनके खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित नहीं हो पायी है की सूची पोर्टल से प्राप्त की जावेगी। सब्सिडी प्राप्त नहीं होने के कारण का निराकरण सम्बंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 15 दिवस में करवाकर पुनः सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण के लिये उक्त सूची पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।
- लाभार्थियों को डी.बी.टी के माध्यम से राशि हस्तान्तरित किये जाने के लिये विभाग के पोर्टल का IFMS पोर्टल से इन्टीग्रेशन होगा। IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑटो बिल जनरेट कर भुगतान की गयी राशि के लेखे IFMS पोर्टल के माध्यम से अन्य बिलों के समान ही संकलित कर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान को ऑटो प्रेषित किये जायेगे।
- खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा योजना के सम्पूर्ण रिकार्ड का संधारण किया जावेगा एवं महालेखाकार कार्यालय व आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा चाहे जाने पर ऑडिट के लिये उपलब्ध करवाया जावेगा।

- यदि एल.पी.जी कम्पनियों से निर्धारित तिथि पर सूची/Excel Sheet (Master Data) में प्राप्त नहीं होती है तो सिस्टम द्वारा एल.पी.जी कम्पनियों को मैसेज (Message) अलर्ट प्रेषित किया जायेगा।
- यदि एल.पी.जी. कम्पनियों से निर्धारित तिथि के दो दिवस पश्चात् भी सूची/Excel Sheet (Master Data) में प्राप्त नहीं होती है तो दूसरा मैसेज (Message) कम्पनी के उच्च अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC), अतिरिक्त खाद्य आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किया जायेगा।

11. जिला रसद अधिकारी कार्यालयों (DSO) की भूमिकाः–

- योजनान्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के सिलेण्डर का लाभार्थियों द्वारा सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं के सम्बंध में रेन्डेमली (Randomly) जांच की जायेगी।
- सम्बधित जिले के जिला रसद अधिकारी को विभाग के पोर्टल के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों अनुसार ऑटोमेटिक जनरेट मैसेज (Message) प्रेषित किया जायेगा।
- इस तरह का मैसेज (Message) योजना की सम्पूर्ण अवधि मे प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।
- अगले माह में पूर्व में प्रेषित उपभोक्ताओं की आई.डी. को मैसेज (Message) में शामिल नही किया जायेगा।
- लाभान्वित उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने की स्थिति में यदि किसी कारण से योजना की सब्सिडी राशि लाभान्वित उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं होती है तो पोर्टल पर उक्त कारणों का अंकन स्पष्ट जिलेवार व योजनावार दिखाई देगा।
- विभाग जिलेवार प्राप्त सूची को सम्बधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित करेगा की सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारणों का निस्तारण 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे।
- जिला रसद अधिकारी उक्त सूची के आधार पर निस्तारण कर सूची को पुनः विभाग को प्रेषित करेंगा।
- जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उक्त सूची को विभाग का प्रभारी अधिकारी (OIC) चैक करने के उपरान्त डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से पुनः पोर्टल पर अपलोड करेगा।

12. बिल बनाने की प्रक्रियाः–

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा प्रोग्रामर की सहायता से जनआधार डी.बी.टी इंजन पर लाभार्थियों को देय सब्सिडी का डाटा डिजीटल सिग्नेचर (DSC) के जरिये अपलोड किया जावेगा।
- DOIT द्वारा विकसित पोर्टल पर डाटा जनआधार डी.बी.टी इंजन के माध्यम से प्रोसेस कर जो किसी को भी दृश्य (विजीबल) नही होगा। बिल बनाने हेतु डेटा आई.एफ.एम.एस पोर्टल पर प्रेषित किया जावेगा।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग क आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा योजना अन्तर्गत बी.पी.एल एवं उज्ज्वला योजना श्रेणी के परिवार के जनआधार से लिंक खाते में देय सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण DBT के जरिये ऑटो बिल बनाने के लिए IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन किया जावेगा।
- बिल बनाने का कार्य IFMS पोर्टल पर होगा जो ऑटोप्रोसेस होगा और किसी को दृश्य नहीं होगा।

- IFMS पोर्टल पर ऑटो बिल बनाकर कोषालय को प्रेषित किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल को भुगतान हेतु पारित कर ईसीएस के माध्यम से योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनआधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा IFMS पोर्टल पर सर्वर सर्टिफिकेशन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत तीनों बजट मदों में राशि जिस अनुपात में वित विभाग द्वारा योजना के लिये विभाग को प्रावधित की गयी है, उसी अनुपात में तीनों एल.पी.जी. कम्पनियों से प्राप्त राशि के बिल बनाये जायेगें तथा बीपीएल उपभोक्ताओं व उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के बिल अलग–अलग बनाये जावेंगे।
- बीपीएल व उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राशि के तीनों बजट मदों में आंवटित राशि के अनुपात में आनुपातिक आधार पर तीन–तीन बिल बनाये जावेगें।
- इस प्रकार एक एल.पी.जी कम्पनी के 6 बिल तैयार होंगे व समस्त तीनों एल.पी.जी कम्पनियों के कुल 18 बिल तैयार करने होगे जो कि बीपीएल व उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं हेतु अलग–अलग बजट मदों से तैयार किये जावेंगे।

13. DOIT/RISL की भूमिकाः–

- जनआधार डी.बी.टी इंजन के पूर्णतः संचालन नहीं होने की स्थिति में अन्तरिम व्यवस्था के तहत योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनआधार से लिंक बैंक खाते में योजना की देय सब्सिडी डी.बी.टी के जरिये अन्तरित किये जाने हेतु अन्तरिम व्यवस्था किया जाना है। उक्त अन्तरिम व्यवस्था के तहत योजना के संचालन हेतु राशि योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनआधार से लिंक बैंक खाते में योजना की देय सब्सिडी डी.बी.टी के जरिये हस्तान्तरित किये जाने का कार्य RISL को दिया जाना प्रस्तावित है।
- खाद्य विभाग द्वारा Excel Sheet में उज्ज्वला एवं बीपीएल के लाभार्थियों को देय सब्सिडी का अंकन एवं प्रमाणीकरण कर DOIT के पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा Digital Signature/ आधार बेस E-Sine किया जावेगा।
- Rajcomp द्वारा उक्त अवधि में Rajasthan Payment Platform के माध्यम से लाभार्थी के जनाधार लिंक बैंक खाते में सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जावेगा। इस हेतु राजकॉम्प को कोई सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।
- भुगतान से पूर्व DOIT पोर्टल द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक उपभोक्ता को एक माह में एक सिलेण्डर की ही सब्सिडी राशि हस्तान्तरित हो साथ ही उपभोक्ता महंगाई राहत कैम्प 2023 में रजिस्टर्ड किया हुआ हो।
- उक्त अंतरिम व्यवस्था हेतु खाद्य विभाग द्वारा राजकॉम्प को 02 माह के भुगतान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- साथ ही राजकॉम्प द्वारा उक्त अवधि में लाभार्थियों को किये गये भुगतान का डाटा आईएफएमएस पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- RISL को विभाग द्वारा दो माह की अग्रिम राशि का भुगतान RISL के पी.डी./बैंक खाते में किया जावेगा।
- RISL को विभाग योजनान्तर्गत सब्सिडी राशि हस्तान्तरित करने हेतु किसी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।
- RISL द्वारा प्रत्येक माह में दो बार (पाक्षिक रूप से) योजनान्तर्गत सब्सिडी की राशि प्राप्त करने वाले बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को देय सब्सिडी का लेखे व उपयोगिता प्रमाण पत्र DOIT के माध्यम से विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) को उपलब्ध करवायी जावेगी।

- RISL द्वारा प्रत्येक माह में योजनान्तर्गत सब्सिडी की राशि प्राप्त करने वाले बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी राशि हस्तान्तरित नहीं हो पाने पर उन लाभार्थियों की सूची कारण सहित विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) को उपलब्ध करवायी जावेगी।
- RISL द्वारा योजना की अन्तरिम व्यवस्था के तहत व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) को उपलब्ध करवाया जावेगा।
- RISL द्वारा निर्धारित तिथि पर DBT नहीं होता है तो सिस्टम द्वारा विभाग के प्रभारी अधिकारी (OIC) व अतिरिक्त खाद्य आयुक्त को मैसेज (Message) अलर्ट प्रेषित होगा। यदि प्रथम मैसेज (Message) अलर्ट की दिनांक को भी DBT Confirmation रिपोर्ट प्राप्त नही होती है तो आयुक्त सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग व अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य महोदय को प्रेषित होगा।
- DOIT/RISL द्वारा योजना के लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित होने की सूचना या सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण असफल होने की सूचना मैसेज (SMS) के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। इस सूचना का प्रारूप (टेम्पलेट) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के योजना प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा DOIT को उपलब्ध करवाया जावेगा।
- योजनान्तर्गत महंगाई राहत कैम्प में पंजीकृत बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का मास्टर डाटा DOIT द्वारा एम.आर.सी. ऐप्लीकेशन के माध्यम से पाक्षिक रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- प्रथम माह में सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा द्वितीय माह की सब्सिडी प्राप्त करने से पूर्व DOIT द्वारा तैयार मोबाईल ऐप/एप्लीकेशन से ओ.टी.पी. सत्यापन कराया जाएगा। उक्त प्रक्रिया से लाभार्थी के बैंक खाते में सही राशि प्राप्त होने एवं सब्सिडी हेतु स्वयं के आवेदन करने की पुष्टि की जा सकेगी।

14. <u>वित्त/लेखा शाखा हेतु निर्देश</u>

योजना में आंवटित राशि का 80 प्रतिशत उपयोग (व्यय) हो जाने के उपरान्त आनुपातिक रूप से बजट मदों में राशि बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।

अन्तरिम व्यवस्था के तहत योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया के जनआधार से लिंक बैंक खाते में योजना की देय सब्सिडी डी.बी.टी के जरिये हस्तान्तरित RISL द्वारा किये जाने व योजना के संचालन हेतु बजट मदों मे प्रावधित राशि रू. 750.00 करोड़ में से 2 माह के व्यय हेतु अग्रिम अनुमानित राशि रू. 125.00 करोड़ (अक्षरे एक सौ पच्चीस करोड़ रू. मात्र) RISL के पी.डी./बैंक खाते में निम्नानुसार हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जा चुकी है। RISL के पी.डी./बैंक खाते में उक्त राशि हस्तान्तरण हेतु खाद्य विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी।

10.5.23

(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रोग्रामर (डीओआईटी), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जारी दिशा–निर्देशों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
17. रक्षा पत्रिका।

10.5.23

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव